

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:-

प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी)-3

(सेवानिवृत्त प्रादेशिक सेना अफसर)

प्र. 1 मेरा पुराना पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) सर्विस पेंशन के पुनरीक्षण (रिवीजन) हेतु पीसीडीए(पी) इलाहाबाद को अग्रप्रेषित किया गया है। मैं अपने पेंशन पेमेंट आदेश का शुद्धिपत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर: पीसीडीए(पी) इलाहाबाद इसे पेंशन में बदलाव की सूचना दिए जाने पर संबद्ध रेकॉर्ड कार्यालय के माध्यम से स्वतः करेगा।

प्र. 2. मेरी सेवा की कुल अवधि 17 साल है एवं एमबॉडिड सर्विस कुल 13 वर्ष 6 महीने की है। क्या मैं सेवा पेंशन के योग्य हूँ?

उत्तर: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 68699/221/जीएस/टीए-3(ए)/1181/बी/डी (जीएस-प्ट) दिनांकित 11 जून, 1985 के अनुसार, प्रादेशिक सेना कर्मी (जेसीओ/ओआर), जो न्यूनतम अर्हता के रूप में 15 वर्ष की एमबॉडिड सेवा रखते हैं, सेवा पेंशन के हकदार हैं।

प्र. 3 मैं परिपक्वता पूर्व 20 वर्ष 8 महीने और 20 दिन की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गया और मेरी एमबॉडिड सेवा 14 वर्ष 4 महीने की है। क्या मैं सेवा पेंशन के योग्य होऊंगा, यदि सेवा अवधि के मामले में माफी दी जाती है।

उत्तर: प्रादेशिक सेनाकर्मी, जो स्वयं के निवेदन पर सेवामुक्त किए गए हैं, उनकी सेवा अवधि माफ नहीं की जा सकती।

प्र. 4 मैं 18 वर्ष 6 महीने की एमबॉडिड सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन मेरी पेंशन नियमित सेना की तुलना में 5 प्रतिशत कम है, क्यों?

उत्तर: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 68699/221/जीएस/टीए-3(ए)/ 1181/बी/डी (जीएस-प्ट) दिनांकित 11 जून, 1985 के अनुसार, प्रादेशिक सेना कर्मियों की एमबॉडिड सेवा अर्हता लगातार भी हो सकती है और टुकड़ों में भी दी गई हो सकती है। कुल एमबॉडिड सेवा की गणना के लिए, एमबॉडिड सेवा में डिसएम्बॉडिमेंट के कारण आए ठहरावों (ब्रेक्स), को माफ कर दिया जाता है, लेकिन ठहराव की अवधि सेवा के रूप में पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है। जब अर्हता योग्य एमबॉडिड सेवा टुकड़ों में दी गई हो, तो वैसे जेसीओ/ओआर जिन्होंने कुल 15 वर्ष की एमबॉडिड सेवा पूरा की हो, लेकिन कुल 20 वर्ष की एमबॉडिड सेवा पूरी नहीं की हो, पेंशन पर 5 प्रतिशत की कटौती प्रभावी होगी।

प्र. 5 मैं प्रादेशिक सेना से वर्ष 2010 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्या मैं विकलांगता पेंशन का हकदार हूँ?

उत्तर: (1) एओ 460/73 एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(2)/(97/डी) (पीईएन-सी) दिनांकित 31 जनवरी, 2001 के अनुसार:

अमान्य पेंशन एवं अमान्य ग्रैच्युटी (वैसी विकलांगता जो न तो मिलिट्री सेवा पर आरोपित होने योग्य हो और न ही सेवा के कारण जो गंभीर हुई हो)

(एए) 10 वर्ष के पूर्व सेवा से अयोग्य घोषित:-सिर्फ अमान्य ग्रैच्युटी मान्य होगा।

(एबी) 15 वर्ष या इससे अधिक की सेवा:- सामान्य नियमों के अनुसार सेवा पेंशन मान्य।

(एसी) 10 वर्ष से अधिक पर 15 वर्ष से कम की सेवा:-विनियम 98 (ए) के तहत मान्य विकलांगता पेंशन के सेवा तत्व (सर्विस एलिमेंट) के बराबर अमान्य पेंशन।

(एडी) मिलिट्री सेवा पर आरोपित किए जाने वाले सभी चिकित्सकीय वर्ग वाले विकलांगता पेंशन के योग्य।